रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 239] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 7, 2010/वैशाख 17, 1932

No. 239] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 7, 2010/VAISAKHA 17, 1932

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मई, 2010

सा.का.नि. 386(अ).—केन्द्रीय मोटर यान (संशोधन) नियम, 2010 का प्रारूप भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1003(अ) तारीख 4 मई, 2010 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उप-धारा (1) के अधीन अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको भारत के राजपत्र की प्रतियां जिसमें उक्त अधिसूचना आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित की गई थी;

और इस बाबत किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं और केन्द्रीय सरकार उक्त नियमों में संशोधन करने के लिए लोक हित में तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक विचार करती है ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 88 की उपधारा (14) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती करती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (संशोधन) नियम, 2010 है ।

   (2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 87 में,-

(i) उपनियम (1) में, "पांच सौ रुपए" शब्दों के स्थान पर "एक हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपनियम (2) और उपनियम (2क) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखे जाएंगे, अर्थात् :-

"(2) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र, स्मार्ट कार्ड में जारी किए जाने की दशा में प्रत्येक प्राधिकार पत्र प्ररूप 23-क में अनुदत्त किया जाएगा या यदि प्राधिकार पत्र कागजी दस्तावेज प्रकार के होने की दशा में है तो प्ररूप 47 में संपूर्ण भारत क्षेत्र में प्रचालन के लिए प्रदत्त परमिट के लिए राष्ट्रीय परमिट खाते में समेकित फीस रुपए पंद्रह हजार के संदाय के अधीन होगा ;

(2क) निम्नलिखित विनिर्देश के अनुसार आनुपातिक आधार पर केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के मध्य राष्ट्रीय परमिट खाते में जमा समेकित फीस वितरित होगी, अर्थात् :-

किसी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का प्रतिशत भाग = $\dfrac{\text{आधार वर्ष में किसी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र द्वारा प्राप्त कुल समेकित फीस} \times 100}{\text{आधार वर्ष में जहां राष्ट्रीय परमिट प्रचालन में है राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा प्राप्त कुल समेकित फीस}}$

टिप्पण : आधार वर्ष सबसे पश्चात् के तीन वित्तीय वर्षों का औसत होगा और राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों का भाग केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण- उपधारा (2) और उपधारा (2क) के प्रयोजनों के लिए "राष्ट्रीय परमिट खाते" से केन्द्रीय सरकार द्वारा और राजपत्र में अधिसूचना द्वारा स्थापित कोई खाता अभिप्रेत है ।" ।

3. उक्त नियम के प्ररूप 23-क में,-

(i) क्रम सं. 7 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"7. .... तक (दिन-मास-वर्ष) गृह राज्य में संदत्त कर";

(ii) क्रम सं. 26 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"26. प्राधिकार के ब्यौरे:

पर्यटन परमिट के लिए :

राज्य (केवल कोड)................................... प्राधिकार सं......................... (दिन-मास-वर्ष में) से विधिमान्यता .... (दिन-मास-वर्ष में) तक विधिमान्यता, बैंक ड्राफ्ट रकम ...., बैंक ड्राफ्ट सं. ...., बैंक (केवल कोड) .... बैंक ...., ड्राफ्ट जारी करने की तारीख (दिन-मास-वर्ष में) ।

राष्ट्रीय परमिट के लिए (संपूर्ण भारत के राज्यक्षेत्र में प्रचालन के लिए विधिमान्य) :--

प्राधिकार सं. .... (दिन-मास-वर्ष में) से विधिमान्यता .... (दिन-मास-वर्ष में) तक विधिमान्यता, विशिष्ट रसीद सं. ...., रसीद की तारीख(दिन-मास-वर्ष में) .... बैंक (केवल कोड) .... शाखा.........................)" ।

4. उक्त नियमों के प्ररूप 46 में क्रम सं. 13 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"13. (क) पर्यटन परमिट के लिए :

मैं/हम प्राधिकार फीस के संदाय के मद्दे बैंक ड्राफ्ट संलग्न कर रहा हूं/कर रहे हैं जिसका/जिसके विवरण निम्नलिखित हैं (पर्यटन परमिट की दशा में)

क्रम सं.	*राज्य का नाम*	*संदत्त रकम*	*बैंक ड्राफ्ट की विशिष्टियां और तारीख*	*संदाय की तारीख*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(ख) राष्ट्रीय परमिट के लिए :

मैं/हम राष्ट्रीय परमिट के लिए समेकित फीस के लिए रुपए 15000/- का संदाय की रसीद संलग्न कर रहा हूं/कर रहे हैं ।" ।

5. उक्त नियमों के प्ररूप 47 में उपशीर्ष "समिश्र फीस/कर के संदाय का प्रमाणपत्र" के अधीन सारणी और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"सम्मिश्र फीस/करों के संदाय का प्रमाण-पत्र (पर्यटक परमिट के लिए)

क्रम सं0	राज्यों का नाम जिनके लिए संदाय किया गया	संदत्त रकम रु0	बैंक ड्राफ्ट का संख्यांक और तारीख तथा बैंक का नाम	बैंक ड्राफ्ट की प्राप्ति की तारीख	को संदेय	अवधि जिसके लिए संदत्त किया गया	यान का रजिस्ट्रीकरण चिह्न	प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9

प्रमाणित किया जाता है कि राष्ट्रीय परमिट धारक ने पावती संख्यांक......................तारीख......... ....द्वारा 15000/- रु0 की समेकित फीस संदत्त कर दी है " ।

[फा. सं. आर.टी.-11036/19/2010-एमवीएल]

सरोज कुमार दास, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम संख्यांक सा.का.नि.590(अ) तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए और उनका अंतिम संशोधन संख्यांक सा.का.नि.148(अ) तारीख 4 मार्च, 2009 द्वारा किया गया ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th May, 2010

G.S.R. 386(E).—Whereas certain draft rules namely, the Central Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2010 were published as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1003(E), dated the 4th May, 2010 in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 4th May, 2010 for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby;

And whereas, no objections or suggestions have been received from any person in this regard and the Central Government considers it necessary in the public interest to take immediate action for making amendments in the said rules;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (14) of section 88 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 87,-

(i) in sub-rule (1), for the words "rupees five hundred", the words "rupees one thousand" shall be substituted;

(ii) for sub-rule (2)and sub-rule (2A), the following sub-rules shall be substituted, namely:-

"(2) Every authorisation shall be granted in Form 23-A, in case the certificate of registration is issued on Smart Card or in Form 47, in case the authorisation is in paper document, subject to payment of a consolidated fee of rupees fifteen thousand per annum to be deposited in the national permit account for the permit granted to operate throughout the territory of India;

(2A) The consolidated fee deposited in the national permit account shall be distributed by the Central Government among the States and Union territories on pro rata basis as per the following specification, namely:-

$$\text{Percentage share of } n^{th} \text{ State/Union territory} = \frac{\text{total consolidated fee received by } n^{th} \text{ State/Union territory in the base year}}{\text{total consolidated fee received by all the States/Union territories in the base year where national permit is in operation}} \times 100$$

Note: The base year shall be the average of the latest three financial years and the share of the States and Union territories shall be notified by the Central Government from time to time.

Explanation.- For the purposes of sub-rule (2) and sub-rule (2A), the "national permit account" means an account established by the Central Government and notified in the Official Gazette.".

3. In the said rules, in Form 23-A,-

(i) for serial number 7 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

" 7. Home State tax paid upto (In dd-mm-yyyy)";

(ii) for serial number 26 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

"26. Authorisation Details:

For Tourist Permit

State (Code only) ……………………, Authorisation Number ……………………, Validity from (In dd-mm-yyyy) ……………, Validity upto (In dd-mm-yyyy) ………………., Bank Draft Amount ……………..Bank Draft Number ……………..Bank (Code only) ……………………,Bank Draft Issue Date (In dd-mm-yyyy)……………………..

For National Permit (valid for operation throughout the territory of India):-

Authorisation Number ……………………, Validity from (In dd-mm-yyyy) ……………, Validity upto (In dd-mm-yyyy) ………………., Amount paid ………………… unique receipt number………………receipt date (In dd-mm-yyyy) ……………………., Bank (Code only) ……………………., Branch……………………..".

4. In the said rules, in Form 46, for serial number 13 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

"13. (a) For Tourist Permit:

I/We enclose bank draft(s) as described hereunder towards payment of the authorisation fee (in case of tourist permit)

S.No.	*Name of the States.*	*Amount paid.*	*Particulars of bank draft(s) and date.*	*Date of payment.*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(b) For National Permit:

I/We enclose the receipt towards payment of Rs. 15000/- as consolidated fee for National Permit.".

5. In the said rules, in Form 47, under the sub-heading "CERTIFICATE OF COMPOSITE FEE/TAXES", for the table and the entries therein, the following shall be substituted, namely:-

"Certificate of payment of composite fee/taxes (for tourist permit)

S.No.	Name of the States	Amount paid Rs.	No. and date	Date of receipt	Payable to.	Period for which	Registration mark of the vehicle.	Signature and seal of the

	for which payment made.		of bank draft and name of bank.	of bank draft		paid.		authority.
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Certified that the National Permit holder has paid the consolidated fee of Rs. 15000/- vide receipt number................ dated.............".

[F. No. RT-11036/19/2010-MVL]

SAROJ KUMAR DASH, Jt. Secy.

Note.— The principal rules were published vide number G.S.R. 590 (E), dated the 2nd June, 1989 and last amended vide number G.S.R. 148 (E), dated the 4th March, 2009.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.